गौरवशाली
68 वर्ष

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम

नैक द्वारा मूल्यांकित

दुर्गा एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित

दुर्गा महाविद्यालय

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त

विवरण पत्रिका, सत्र - 2019-20

आरक्षण, अधिभार एवं छूट

1. शासकीय नियमों एवं निर्देशों के अनुसार, अनु.जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग (चिकनीपरत को छोड़कर) विकलांग तथा स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री तथा पौत्र/पौत्री को आरक्षण की सुविधा रहेगी।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। पिछड़े वर्ग (चिकनीपरत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।
3. गुणानुक्रम के निर्धारण हेतु शासकीय नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए एन.एस.एस./एन.सी.सी. एवं क्रीड़ा विषयक अधिभार की सुविधा प्रदान की जावेगी।

अनुशासन और नियम

1. छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय परिसर में आचरण और व्यवहार महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुरूप रहे।
2. छात्र/छात्राओं द्वारा महाविद्यालय या उसकी किसी गठित इकाई के नाम पर बाहर से किसी भी तरह से चंदा या दान लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
3. हिंसा, आतंक, धार्मिक उन्माद, नशाखोरी और अनैतिक गतिविधियों से छात्र/छात्राएँ दूर रहें। यदि ऐसे आरोपों से वे प्रमाणित हुए तो उन्हें तत्काल महाविद्यालय से निकाल दिया जाएगा।
4. महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा और स्वच्छता प्रत्येक अध्येता का दायित्व होगा। महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना या पोस्टर चिपकाना मना है। ऐसा करने वालों को अर्थदंड के अलावा महाविद्यालय से निकाले जाने का दंड दिया जा सकता है साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
5. विश्वविद्यालय अधिनियम में अनुशासनहीनता विषयक प्रावधान-विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के

अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासनहीनता किए जाने का, किए जाने पर, ऐसे छात्र-छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिए अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है।

(1) निलम्बन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करना।

6. अनुशासहीनता, लगातार अनुपस्थिति, शुल्कों का नियमित जमा न किया जाना, असंतोषजनक आचरण, रैगिंग आदि के कारण प्राचार्य किसी भी अध्येता का नाम महाविद्यालय सूची से काटने में सक्षम है।
7. अध्येताओं को प्रतिदिन महाविद्यालय आते समय परिचय पत्र (आई कार्ड) साथ में रखना अनिवार्य है। परिचय पत्र के बिना आने पर पहली बार 50 रू. तथा अगली बार 80 रू. अर्थदंड भरना होगा। आई कार्ड में पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो लगाया जाए। परिचय पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने पर पुलिस रिपोर्ट एवं शपथ पत्र के साथ 50 रू. शुल्क जमा करने पर दूसरा परिचय पत्र दिया जाएगा। परिचय पत्र की जाँच कभी भी की जा सकती है।
8. छात्र/छात्राओं को सायकल, स्कूटर या अन्य वाहन स्टैण्ड पर रखना अनिवार्य है। अन्यत्र रखने पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा। **स्टैण्ड से अन्यत्र रखा वाहन चोरी हो जाता है तो महाविद्यालय का दायित्व नहीं होगा।**
9. छात्रों और छात्राओं के लिए पृथक-पृथक छात्र कक्ष

और छात्रा कक्ष है। खाली पीरियड में उनका उपयोग किया जाए महाविद्यालय परिसर में घूमने वाले अध्येताओं पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाएगी।

10. यदि छात्र/छात्राओं को व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक रूप से कोई कठिनाई हो या किसी काम को करने की अनुमति लेनी हो तो वे विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को लिखित निवेदन देंगे।

11. अध्येताओं को अध्ययन हेतु निर्धारित समय पर कक्षाओं में उपस्थिति आवश्यक है।

रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनिमय 2001 के अंतर्गत रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिया जाने वाला दण्ड

(1) प्रवेश निरस्त किया जाना।
(2) संस्था से निष्कासित किया जाना।
(3) छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
(4) परीक्षाओं से वंचित करना।
(5) परीक्षा परिणाम रोकना।
(6) राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
(7) पाँच साल तक कारावास की सजा या 5000 रूपये जुर्माना या दोनों।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस

प्रावधान का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

विशेष : जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गए तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।

पोस्टर चिपकाना व दीवारों पर लिखना प्रतिबंधित :

महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना या पोस्टर चिपकाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों को अर्थदंड के अलावा महाविद्यालय से निकाले जाने का दंड दिया जा सकता है। साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :

1. **दुर्गा महाविद्यालय की कक्षाओं में मोबाईल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।**
2. **दुर्गा महाविद्यालय परिसर में परीक्षा के दौरान मोबाईल लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।**
3. **महाविद्यालय परिसर में स्कार्फ/नकाब बांधकर प्रवेश एवं विचरण प्रतिबंधित है।**
4. **महाविद्यालय परिसर CCTV की सतत निगरानी में है। फुटेज किसी व्यक्ति को मांगने पर नहीं दिया जाएगा।**
5. **ई-लाइब्रेरी की विशेष सुविधा।**
6. **अवकाश के दिनों में खेल मैदान सहित महाविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।**
7. **महाविद्यालय में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है।**